

*Kachchativu Issue (CA)*

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI K. S. RAMASWAMY). (a) and (b). The Contempt of Courts was introduced in the Rajya Sabha on 29.2.1968 and it is now under consideration of a Joint Committee consisting of Members from both the Houses of Parliament.

12 hrs.

## DEMISE OF THE PRIME MINISTER OF ISRAEL

SHRI RANGA (Srikakulam) : Sir, I have to draw your attention and the attention of the House to the sad demise of the Prime Minister of Israel. We are all sorry for it.

12.0½ hrs.

CALLING ATTENTION TO  
MATTER OF URGENT PUBLIC  
IMPORTANCE

## KACHCHATIVU ISSUE

श्री जार्ज फरनेन्गीज (बम्बई-दक्षिण) : अध्यक्ष महोदय, मैं अविलंबनीय लोकमहत्त्व के निम्नलिखित विषय की ओर वैदेशिक-कार्य मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि वे इस सदन में इसके ऊपर वक्तव्य दें :

“समाचार-पत्रों में प्रकाशित यह समाचार कि भारत श्रीलंका के साथ कच्चातीवू पर विवाद मध्यस्थता के लिए सौंपने के लिए सहमत हो गया है।”

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI DINESH SINGH) : The issue of Kachchativu figured in the talks between our Prime Minister and the Prime Minister of Ceylon during his visit to India in November-December, 1968. The two Prime Ministers agreed that in view of the close and cordial ties between the two countries, the issue of Kachchativu should be resolved by bilateral discussions in a spirit of cooperation. Officials of the two countries have held consultations within the broad agreement reached between the two Prime Ministers.

The Government of India are confident that this issue will be resolved by

*Kachchativu Issue (CA)*

bilateral discussion and the question of arbitration does not arise.

श्री जार्ज फरनेन्गीज : अध्यक्ष महोदय, मैं यह उम्मीद करता हूँ कि समाचार-पत्रों में जो खबर आई है उसको मंत्री महोदय ने पढ़ा होगा। मैं यह भी समझता हूँ कि देश के वैदेशिक-कार्य मंत्री का यह फर्ज होता है कि जब देश की जमीन के सम्बन्ध में या देश के हित के सम्बन्ध में किसी दूसरे मुल्क के लोग या सरकारें कोई एक वक्तव्य दें जिस वक्तव्य को उस मुल्क की सरकार के लोग खंडन करने के लिए तैयार न हों और वह वक्तव्य हमारे मुल्क के हित के विरोध में हो, तो फिर इस सरकार की ओर से उस वक्तव्य का खंडन होना चाहिए। 21 फरवरी की एक खबर जो कि 24 फरवरी के भ्रमखार में छपी थी, भारत की जो न्यूज एजेंसी है—यू० एन० आई०—उसकी ओर से, कोलम्बो से नकल हुई, उसको मैं आपको आज्ञा से, यहां पर पढ़ना चाहता हूँ :

“Officials of the Ministries of Defence and External Affairs here refused to confirm or deny a report in the Sinhalese daily *Lankadipa* yesterday that Ceylon and India had agreed to refer the Kachchativu issue to international arbitration. The paper claimed that premier Dudley Senanayake made the request for arbitration during his visit to New Delhi last year. It added that the request was prompted by Ceylon's confidence that its claim to the island was supported by a wealth of historical and documentary evidence”.

MR. SPEAKER : But he has denied it now.

श्री जार्ज फरनेन्गीज : अध्यक्ष महोदय, अभी भी उन्होंने इन्कार नहीं किया है। उन के बयान में कोई इन्कार नहीं है। तो मेरा मंत्री महोदय पर यह आरोप है कि जब यह खबर आई और जैसे उन्होंने इस वक्त यहां पर आपके कथन के अनुसार इन्कार की बात की है, वह तत्काल उनको करनी चाहिए थी ताकि किसी के मन में हिन्दुस्तान की भूमि को लेकर गलतफहमी न रहती। आप